अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के मामले

4346. श्री दिलीप सिंह जूदेव:
श्री नागमणि:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अखिल भारतीय सेवा के उन अधिकारियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) ये मामले कब-कब दर्ज किए गये थे; और

(ग) 1993-94 से 1996-97 तक की अवधि में दंडित किए गए ऐसे अधिकारियों की सेवा-वार संख्या, उनके नाम, पदनाम उन्हें दी गई सजा के संबंध में अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालसुब्रमणियन): (क) से (ग) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1969 के तहत केन्द्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करता है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संबंध में इन शक्तियों का प्रयोग गृह मंत्रालय करता है। इसी प्रकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, इन शक्तियों का प्रयोग, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए करता है। उपर्युक्त नियमावली के तहत, राज्य सरकार, अखिल भारतीय सेवा के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो उस समय राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में सेवारत है, दुराचरण किए जाने पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी है। राज्य सरकार, मामलों की जांच के लिए उन्हें जांचकर्ता अधिकरणों को सौंपने के लिए भी सक्षम है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों के संबंध में, जो केन्द्र सरकार से जुड़े हैं, सूचना निम्नानुसार है:—

(i) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध 37 मामले दर्ज किए है।

(ii) सूचना विवरण-I पर दी गई है।(नीचे देखिए)

(iii) सूचना विवरण-II पर दी गई है।

विवरण I

वर्ष 1993 से 1997 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज किए गए मामलों के संबंध में राज्य-वार सूचना

क्र० सं०	राज्य जिसमें मामला दर्ज किया गया	मामला संख्या तथा दर्ज करने की तारीख
1.	असम	आर० सी 5/94-ए०सी०यू०-1 दिनांक 17.5.94
2.	महाराष्ट्र	आर० सी 1/बी०एस०सी० /93-बम्बई दि० 2.6.1993
3.	हरियाणा	आर० सी 18/96-चंडीगढ़ दिनांक 4.9.96
4.	हरियाणा	आर० सी 7(ए०)/94- ए०सी०यू०-1/11 दि० 29.12.94
5.	मध्य प्रदेश	आर० सी 2/94-ए०सी०यू०-1 दिनांक 7.2.94
6.	दिल्ली	आर० सी 4/97-बी०एस० एंड एफ०सी० दिल्ली दि०
7.	महाराष्ट्र	आर० सी 18/96-ए०सी०बी० मुम्बई दि० 17.3.96
8.	महाराष्ट्र	आर० सी 48/96-ए०सी०बी० मुम्बई दि० 29.8.1996
9.	महाराष्ट्र	आर० सी 9/97-ए०सी०बी० मुम्बई दि० 17.2.1997
10.	मणिपुर	आर० सी 10/96- सिलचर दिनांक 5.6.1996
11.	मणिपुर	आर० सी 11/96- सिलचर दिनांक 5.6.1996
12.	मणिपुर	आर० सी 12/96- सिलचर दिनांक 5.6.1996

क्र० सं०	राज्य जिसमें मामला दर्ज किया गया	मामला संख्या तथा दर्ज करने की तारीख
13.	मणिपुर	आर० सी 13/96- सिलचर दिनांक 5.6.1996
14.	मणिपुर	आर० सी 14/96- सिलचर दिनांक 5.6.1996
15.	मणिपुर	आर० सी 15/96- सिलचर दिनांक 5.6.1996
16.	मणिपुर	आर० सी 16/96- सिलचर दिनांक 5.6.1996
17.	मणिपुर	आर० सी 17/96- सिलचर दिनांक 5.6.1996
18.	मणिपुर	आर० सी 18/96- सिलचर दिनांक 5.6.1996
19.	मणिपुर	आर० सी 19/96- सिलचर दिनांक 5.6.1996
20.	मणिपुर	आर०सी० 20/96— सिलचर दिनाक० 5.6.96
21.	पंजाब	आर०सी० 16/94—ए०सी०बी०/चंडीगढ़ 25.4.94
22.	तमिलनाडु	आर०सी० 10/96—ए०सी०बी०/चेन्नई दि० 8.3.96
23.	तमिलनाडु	आर०सी० 15/96—ए०सी०बी०/चेन्नई दि० 21.3.96
24.	तमिलनाडु	आर०सी० 48/96—ए०सी०बी०/चेन्नई दि० 6.9.96
25.	तमिलनाडु	आर०सी० 43/96—ए०सी०बी०/चेन्नई दि० 18.7.96
26.	दिल्ली	आर०सी० 12/96—ए०सी०बी०/दिल्ली दि० 12.2.96
27.	दिल्ली	आर०सी० 82/95—ए०सी०बी०/ दिल्ली दि० 20.9.95
28.	महाराष्ट्र	आर०सी० 64/93— ए०सी०बी० मुम्बई दि० 29.9.93
29.	महाराष्ट्र	आर० सी 48/96-ए०सी०बी० मुम्बई दि० 29.8.1996
30.	महाराष्ट्र	आर० सी 9/97-ए०सी०बी० मुम्बई दि० 17.2.1997
31.	महाराष्ट्र	आर० सी 9/97-ए०सी०बी० मुम्बई दि० 17.2.1997
32.	चंडीगढ़	पी०ई० 18/94-चंडीगढ़ दिनांक 26.10.94
33.	तमिलनाडु	आर० सी 48/ए/94-चेन्नई दि० 28.9.94
34.	उत्तर प्रदेश	आर० सी 32/96-लखनऊ दिनांक 8.6.1996
35.	राजस्थान	आर० सी 38/ए/95-जयपुर दिनांक 9.11.95
36.	दिल्ली	पी०ई० 20(ए)/93- दिल्ली दिनांक 7.10.1993
37.	पंजाब	आर० सी 007—चंडीगढ़ दिनांक 25.2.97

विवरण II

भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों के संबंध में सूचना जिनके विरूद्ध केन्द्र सरकार-कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने वर्ष 1993 से 1997 के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही पूरी होने पर शास्ति लगाई

क्रम०सं०	अधिकारी का ब्यौरा	लगाई गई शासित
1.	कर्नाटक संवर्ग 1978 बैच का एक अधिकारी	दो वर्ष की अवधि के लिए समय वेतनमान में बिना संचयी प्रभाव के इससे निचले स्तर तक कटौती की शास्ति

क्रम०सं०	अधिकारी का ब्यौरा	लगाई गई शासित
2.	उत्तर प्रदेश संवर्ग बैच 1968 का एक अधिकारी	परिनिंदा की शास्ति लगाई गई।
3.	केरल संवर्ग, भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक सेवानिवृत्त अधिकारी	50 प्रतिशत मासिक पेंशन रोकना। 31.12.96 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आदेश अपास्त कर दिया।
4.	तमिलनाडु संवर्ग का भा०प्र०से० का एक सेवानिवृत्त अधिकारी	50 प्रतिशत मासिक पेंशन रोकना।
5.	भा०प्र०से०, महाराष्ट्र संवर्ग का 1968 बैच का एक अधिकारी	अनिवार्य सेवानिवृत्ति
6.	महाराष्ट्र संवर्ग, भा०प्र०से० का एक अधिकारी	अनिवार्य सेवानिवृत्ति
7.	बिहार संवर्ग का भा०प्र०से० का एक अधिकारी	बर्खास्तगी
8.	1969 बैच का पंजाब संवर्ग का भा०प्र०से० का एक अधिकारी	(क) परिनिंदा (ख) गतिरोध वेतनवृद्धि को रोकना।
9.	महाराष्ट्र संवर्ग का भा०प्र०से० का एक अधिकारी	अनिवार्य सेवानिवृत्ति।
10.	1976 बैच का हरियाणा संवर्ग का भा०प्र०से० का एक अधिकारी	परिनिंदा
11.	अगमूट संवर्ग का भा०प्र०से० का एक अधिकारी	बर्खास्तगी
12.	पश्चिम बंगाल संवर्ग का भा०प्र०से० का एक सेवानिवृत्ति अधिकारी	20 प्रतिशत रोकना।

Cases Registered by CBI against Ministers, MPs and MLAs

4347. SHRI SATISH AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of cases registered by the CBI against present and former Ministers, MPs and MLAs in the country during the last six years;

(b) the details of those against whom charge-sheet have been filed; and

(c) the reasons for the filing the charge-sheets against the remaining persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) to (c) During the last 6 years, i.e. 1991 to 1996 and upto 31.3.97, a total of 40 cases have been registered in CBI against 53 Ministers/ex-Ministers, 32 MPs/ex-MPs and 19 MLAs/ex-MLAs. Out of these 40 cases, charge-sheets have been filed in 20 cases. In respect of the remaining 20 cases, the reasons for not filing the charge-sheets are as under:—